



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14856

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 46666 वर्ष 2024**

सुमित

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: बृज लाल शुक्ला, रघुवंश मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए., विदित नारायण मिश्रा

**न्यायालय संख्या - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल**

1. सूची पुनरीक्षित कर दी गई है।

2. हमने आवेदक के अधिवक्ता श्री रघुवंश मिश्रा की ओर से अधिवक्ता श्री अश्वनी त्रिपाठी, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री विदित नारायण मिश्रा और राज्य के अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 182/2024, धारा 191(2), 190, 110, 115(2), 127(2), 103(1) बीएनएस, पुलिस स्टेशन- डंकौर, जिला- गौतम बुद्ध नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।

#### **अभियोजन पक्ष का विवरण:**

4. आवेदक ने पांच अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर 9.7.2024 को सुबह लगभग 11:00 बजे घायल कमल और जितेंद्र पर हमला किया और उनका अपहरण किया। और फिर उन्हें अपने घर ले जाकर दोबारा पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

5. सूचनादाता और अन्य व्यक्ति सह-आरोपी मिंदर के घर पहुँचे, जहाँ उन्हें घायल जितेंद्र और कमल मिले और वे उन्हें अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने कमल को मृत घोषित कर दिया और जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

#### **आवेदक की ओर से दलीलें:**

6. आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि आवेदक का नाम एफआईआर में है, लेकिन उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है।

7. एफआईआर लगभग सोलह घंटे विलंबित है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आरोप स्वतः ही झूठे हैं।

8. घायल जितेंद्र, जो मुख्य गवाह है, की पूछताछ जांच अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज होने की तारीख से लगभग तेरह दिन की देरी के बाद की गई है। पूछताछ में हुई यह देरी स्पष्ट रूप से झूठे आरोप का मामला है और कानूनी परामर्श के बाद यह कहानी गढ़ी गई है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



9. घायल जितेंद्र ने अपने बयान में कहा है कि घटना वाले दिन, मृतक अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा बंशी से बात कर रहा था, तभी हर्ष और शिवम ने उसे रोका और जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहा और उससे झगड़ा करने लगे। इसी बीच, हर्ष ने अभिषेक को फोन किया, जिसके बाद अभिषेक, राज और एक अज्ञात व्यक्ति एक तेज रफ्तार कार में वहाँ पहुँचे और उन्हें अभिषेक के घर, नवादा गाँव ले गए। इसके बाद, हर्ष ने अपने अन्य दोस्तों को भी बुलाया और इसी दौरान उसके अन्य दोस्त, कपिल, गौरव उर्फ बंगाली, सौरभ, आशु, विकास, नरेंद्र उर्फ बघीरा, मोहित, अर्पण और हर्ष का चचेरा भाई संजय भी वहाँ पहुँचे और उन सभी ने मिलकर उनकी पिटाई की। इसके बाद, घायल और मृत व्यक्ति बेहोश हो गए और बताया जाता है कि उन्हें सह-आरोपी मिंदर के घर में होश आया, जिसके बाद आवेदक और सह-आरोपी मिंदर भी वहाँ पहुँचे और उन पर हमला किया।

10. मुख्य गवाह जितेंद्र ने अपने बयान में आवेदक को किसी प्रत्यक्ष कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इस प्रकार, आवेदक का मामला मुख्य आरोपी हर्ष और शिवम से अलग है। अन्य आरोपियों की भूमिका बाद में परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने के लिए जोड़ी गई है। एफआईआर के संस्करण को उसने धारा 180 बीएनएसएस के तहत दिए गए अपने बयान में पूरी तरह से बदल दिया है।

11. आवेदक का उक्त अपराध करने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि आवेदक घटना के अंत में अन्य आरोपियों के साथ शामिल हुआ था। प्रारंभिक कृत्य, यदि कोई था, तो सह-आरोपी हर्ष और शिवम द्वारा ही किया गया था।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



12. मृतक की मृत्यु रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होने से काफी पहले तैयार की गई थी और इसमें सूचना देने वाला पंच गवाह संख्या 2 है, लेकिन उसने उस समय किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। एफआईआर सुबह 3:02 बजे कानूनी परामर्श के बाद दर्ज की गई थी।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 28.8.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

#### राज्य/प्रतिवादी पक्ष की ओर से दलीलें:

14. जमानत याचिका का इस आधार पर कड़ा विरोध किया गया है कि मुकदमा चल रहा है और पीडब्ल्यू-1 का बयान दर्ज किया जा चुका है तथा उसकी जिरह अभी तक पूरी नहीं हुई है।

15. अन्य आरोपियों ने भी घायल जितेंद्र को धमकी दी थी और उसने सह-आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट) उनके खिलाफ प्रस्तुत की जा चुकी है।

16. मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर दस चोटें आई थीं और घायल व्यक्ति को कुल चार चोटें आई थीं, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

#### निष्कर्ष:

17. आवेदक का मामला मुख्य आरोपी हर्ष और शिवम से अलग है।

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

*सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



18. "दोष सिद्ध न होने तक निर्दोषता का अनुमान" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत जमानत को एक नियम और कारावास को एक अपवाद के रूप में जन्म देता है।

19. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, जब तक कि दोष उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में दोहराया है।

20. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 1 एनएससी 595** के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत एक नियम है और कारावास एक अपवाद है"।

21. विद्वान ए.जी.ए./राज्य विधि अधिकारी कोई भी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का औचित्य सिद्ध करती हो।

22. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए निवेदनों, अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर लगभग सोलह घंटे विलंबित है और साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मुख्य गवाह जितेंद्र ने अपने

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



बयान में आवेदक को किसी विशेष प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं किया है, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

23. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **सुमित** को, न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

24. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विद्वान न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

20 जनवरी, 2026

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

*सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



विकास वर्मा

Translated version. Not for legal use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।**

**सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**